ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 09/2005 से 03/2014

1 प्रारम्भिकः–

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ(1) 3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.2005 के अन्तर्गत ई–गवर्नेन्स सोसाईटियों की परिवहन से सम्बन्धित निधियों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) पालमपुर के अवधि 09/2005 से 03/2014 के लेखाओं का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण जिसके परिणाम अग्रलिखित अनुच्छेदों में दिये गये है, इस विभाग के श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनाँक 06.01.2015 से 07.01. 2015 तथा 12.01.2015 से 09.02.2015 के दौरान पालमपुर में किया गया। ई–गवर्नेन्स सोसाईटी धर्मशाला का पंजीकरण, सभायें पंजीकरण अधिनिय XXI, 1860 (हिमाचल प्रदेश संशोधित अधिनियम 1973) के अन्तर्गत दिनांक 19.04.2004 को पंजीकरण संख्या 4121/2004 के अन्तर्गत हुआ तथा इसी पंजीकरण के अन्तर्गत ई–गवर्नेन्स सोसाईटी पालमपुर में कार्य किया।

(ख) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान आय एवं व्यय की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गयाः–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	आय के लिए चयनित माह	व्यय के लिए चयनित माह
1	2005–06	10/2005	01/2006
2	2006–07	11/2006	05/2006
3	2007–08	05/2007	03/2008
4	2008–09	11/2008	07/2008
5	2009–10	02/2010	07/2009
6	2010–11	07/2010	05/2010
7	2011–12	07/2011	04/2011
8	2012–13	04/2012	04/2012
9	2013–14	01/2014	05/2013

(ग) अंकेक्षण अवधि क दौरान निम्नलिखित अधिकारियों ने (आर0एल0ए0) पालमपुर के प्रशासक एवं संवितरण तथा आहरण अधिकारी के रूप में कार्य कियाः–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री अभिषेक जैन	14.7.2005 से 10.5.2006
2	श्री सी0पी0 वर्मा	10.5.2006 से 02.07.2008
3	श्री रितेश चौहान	03.07.2008 से 28.01.2009
4	श्री रत्न गौतम	29.01.2009 से 16.05.2011
5	श्री आशीष सिंहमार	16.05.2011 से 07.05.2012
6	श्री भूपेन्द्र कुमार अतरी	07.05.2012 से लगातार

(घ) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि लाखों में
1	4 (क)	बचत खातों से सम्बन्धित ब्याज की राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना	2.10
2	4 (ख)	सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को बैंक में जमा न करवाया जाना	0.10
3	4 (ग)	सोसाईटी द्वारा जारी चैकों को रोकड़ बही में न लिया जाना	1.68
4	4 (घ)	आय की राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना	0.19
5	9	ई–गवर्नेन्स से विभिन्न प्रकार के किए गए भुगतान बिलो में पाई गई अनियमितताऐं	1.90
6	10	ई0 गवर्नेन्स सोसाईटी से क्रय किए गए विभिन्न सामान से सम्बन्धित पाई गई अनियमितताएं	3.11
7	11	ई0 गवर्नेन्स से कार्यालय के टेलीफोन एवं बिजली बिलों की राशि का भुगतान अनियमित रूप से करना	0.53

(ङ) यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत अभिलेख एवं प्रदत्त सूचनाओं पर आधारित है। संस्था द्वारा अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने की स्थिति में इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

2 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) पालमपुर के अवधि 09/2005 से 03/2014 के लेखों का अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹23000/– आँका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु अनुरोध अनुभाग अधिकारी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या एल0ए0डी0 आडिट सकल (मण्डी)/031/2015 दिनाँक 09.02.2015 द्वारा उपमण्डलाधिकारी व प्रशासक (आर0एल0ए0) पालमपुर से अनुरोध किया गया है।

3 वित्तीय स्थितिः–

(क) ई–गवर्नेन्स सोसाईटी, (आर0एल0ए0) पालमपुर द्वारा परिवहन की गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाये भी प्रदान की जा रही है, जैसे कि भूमि का पर्चा जारी करना, भूमि दस्तावेजों का पंजीकरण एवं अन्य विविध प्रमाण पत्र जारी करना इत्यादि तथा इन सभी सेवाओं हेतु प्राप्त सेवा शुल्क की प्रविष्टियाँ एक ही रोकड़ बही में दर्ज की जा रही है तथा सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त समस्त राशि को काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा पालमपुर के

बचत खाता संख्या 20004014465 में जमा करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त (आर0एल0ए0) पालमपुर द्वारा ई–गवर्नेन्स का एक अन्य बचत खाता पंजाब नैशनल बैंक, शाखा पालमपुर में दिनाँक 30.3.2007 को खोला गया है किन्तु इस बचत खाते का संचालन काफी समय से नहीं किया गया है। ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा परिवहन सम्बन्धी गतिविधियों एवं अन्य गतिविधियों (तहसील से सम्बन्धित) का संचालन एक ही रोकड़ बही एवं बचत खाते से समेकित रूप में किए जाने के परिणामस्वरूप परिवहन से सम्बन्धी गतिविधियों की अलग से वित्तीय स्थिति नहीं बनाई गई अपितु सोसाईटी की समेकित (Consolidate) वित्तीय स्थिति तैयार की गई है जोकि इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** में संलग्न है। अतः परामर्श दिया जाता है कि अंकेक्षण अवधि की परिवहन से सम्बन्धित गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क तथा उसमें से किये गये व्यय का अलग से आय–व्यय का विवरण वित्तीय स्थिति एवं तुलन पत्र तैयार किया जाए तथा जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य के सन्दर्भ में सुझाव/परामर्श दिया जाता है कि परिवहन गतिविधियों एवं अन्य गतिविधियो ंसे प्राप्त सेवा शुल्क एवं उनसे किये गये व्यय का लेखा जोखा अलग–अलग रखा जाए ताकि परिवहन सम्बन्धी गतिविधियों की आय एवं व्यय की सही स्थिति परिलक्षित स्पष्ट हो सके।

(ख) अभिलेख की जाँच में पाया गया कि सोसाईटी के बैंक बचत खाते में लाखों रूपये की राशि जमा पड़ी है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि यह राशि सोसाईटी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये आधिक्य के रूप मे पड़ी है। यदि व्यय का अनुमान लगाकर बचत खाते में पड़ी अतिरिक्त राशि कोएक निश्चित अवधि के लिए सावधि जमा योजना में निवेश किया जाता तो इस राशि पर बचत खाते की ब्याज दर के स्थान पर उच्च दर पर ब्याज प्राप्त हो सकता था तथा अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती थी एव उसका सदुपयोग सोसाईटी की गतिविधियों हेतु किया जा सकता था। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में संस्था स्त्तर पर जाँच करके तथा उचित वित्तीय प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये बैंक बचत खाते में पड़ी अतिरिक्त राशियों का एक समुचित भाग सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि अधिक आय सुनिश्चित करते हुये सोसाईटी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करनी सुनिश्चित की जा सके।

4 बैंक समाधान विवरणिका से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

(क) बचत खातों से सम्बन्धित ब्याज की ₹210317/–को रोकड़ बही में दर्ज न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही एवं बैंक पास बुकों के मिलान के दौरान पाया गया कि सोसाईटी द्वारा दिनाँक 31.3.2014 तक बचत खातों पर ब्याज के रूप में प्राप्त कुल ₹210317/– का रोकड़ बही में नहीं लिया गया है, जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	बचत खाते में ब्याज की जमा राशि की तिथि	प्राप्त/जमा ब्याज की राशि
(क) काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक, पालमपुर			
1	2011–12	31.8.2011	44727
2	2012–13	31.8.2012	42914
3	2012–13	28.2.2013	42308
4	2013–14	31.8.2013	38615
5	2013–14	28.02.2014	40696
(ख) पंजाब नैशनल बैंक, पालमपुर			
6	2010–11	02.09.2010	85
7	2010–11	03.03.2011	84
8	2011–12	03.09.2011	95
9	2011–12	03.03.2012	100
10	2012–13	05.09.2012	103
11	2012–13	04.03.2013	103
12	2013–14	05.09.2013	107
13	2013–14	05.03.2014	107
		योग	**210317**

सोसाईटी द्वारा ब्याज की इतनी अधिक राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करने से सोसाईटी की वास्तविक वित्तीय स्थिति परिलक्षित न होने के अतिरिक्त उक्त कार्रवाई लेखांकन के सिद्धान्तों के विरूद्ध भी है। अतः इस चूक बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये अविलम्ब ब्याज के रूप में प्राप्त इन राशियो ंको रोकड़ बही में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य के सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि बचत खातों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय को यथा समय रोकड़ बही में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति न हो।

(ख) सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त ₹10225/– को बैंक में जमा न करवाये जाने बारेः–

(आर0एल0ए0) पालमपुर द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख, रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक की जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त ₹10225/– को बैंक में जमा नहीं करवाया गया है, जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**दिनाँक**	**राशि (जो जमा नहीं करवाई गई)**	**टिप्पणी/विवरणी**
1	24.2.12	660	क्रम संख्या 1 से 3 में प्राप्त राशियाँ बैंक में जमा नहीं करवाई गई है, जिसका सम्पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ख"** की क्रम संख्या (IX) में दिया गया है
2	10.3.14	4795	
3	10.3.14	620	
4	13.2.13	4000	दिनाँक 13.02.2013 को रोकड़ बही मे आय के रूप में ₹8980 की प्रविष्टि की गई है जबकि बैंक में ₹4980 ही जमा करवाये गये है। इस प्रकार ₹4000 कम जमा करवाये गये है
5	17.5.13	50	क्रम संख्या 5 एवं 6 में दर्शाई गई राशि रोकड़ बही में दर्ज राशि एवं बैंक में जमा राशि का अन्तर है जिसका सम्पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ख"** के क्रमाँक XIV पर भी दिया गया है
6	17.5.13	100	
	योग	**₹10225**	

सोसाईटी द्वारा सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त आय को बैंक में जमा न करवा कर उक्त राशियों को दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुये उक्त राशि की वसूली दण्ड ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियों/कर्मचारियो से शीघ्र सनिश्चित करते हुये इन्हें बैंक में जमा करवाया जाए तथा कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य के सन्दर्भ में यह सुझाव दिया जाता ह कि सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त की गई समस्त राशियों की बैंक में जमा करवाये जाने की पुष्टि हेतु आन्तरिक जाँच प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए ताकि इस प्रकार की घटानाओं की पुनरावृति को रोका जा सके।

(ग) सोसाईटी द्वारा जारी ₹168717/– के चैकों को रोकड़ बही में न लिया जानाः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) पालमपुर द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख एव रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक के मिलान के दौरान पाया गया कि सोसाईटी के बैंक खाता

संख्या 20004014465 (काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक, शाखा पालमपुर) में से अंकेक्षण अवधि के अन्तर्गत निम्नविवरणानुसार राशियाँ आहरित की गई है, किन्तु इन राशियो की प्रविष्टिया न तो रोकड़ बही के व्यय शीर्ष में दर्ज की गई है एवं न ही इनसे सम्बन्धित बिल/वाउचर जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि यह राशियाँ वास्तव में सोसाईटी की गतिविधियों के व्यय से सम्बन्धित है अथवा उक्त राशियाँ विभाग के किसी अन्य शीर्ष (Head) के व्यय से सम्बन्धित है एवं इनकी निकासी गलती से ई–गवर्नेन्स सोसाईटी के खाते में से कर ली गई है। अतः उक्त समस्त राशियों की ई–गवर्नेन्स सोसाईटी के बैंक खाते में से निकासी बारे आन्तरिक जाँच के उपरान्त सम्पूर्ण तथ्यों की अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए एवं यदि यह राशियाँ सोसाईटी गतिविधियों से सम्बन्धित व्यय की है तो इन्हें रोकड़ बही में दर्ज करते हुये इनसे सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाएं अन्यथा इन राशियो की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त इन्हें सोसाईटी के बैंक खाते में जमा करवाया जाए।

क्र0सं0	**वित्तीय वर्ष**	**चैक क्रमाँक**	**दिनाँक**	**राशि**	**टिप्पणी**
1	2007–08	–	30.05.07	364	यह सभी राशियाँ **परिशिष्ट "ख"** के क्रम संख्या III में दर्शायी गई हैं एवं यह राशियाँ सोसाईटी के बैंक खाते/अंकेक्षण में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार बैंक से दर्शाई गई तिथियों को आहरित की गई है
2	2008–09	–	10.2.09	200	
3	2009–10	17687	18.11.09	300	
4	2009–10	17665	07.12.09	342	
5	2012–13	405889	15.12.12	1263	
6	2012–13	405837	10.01.13	86363	
7	2012–13	405831	10.01.13	10470	
8	2013–14	200854	07.05.13	30000	
9	2013–14	715463	02.07.13	2520	
10	2013–14	715705	02.07.13	4050	
11	2013–14	715740	02.07.13	450	
12	2013–14	715841	02.07.13	250	
13	2013–14	–	27.01.14	3251	
14	2013–14	–	29.01.14	9473	
15	2013–14	–	18.02.14	7447	
16	2013–14	–	24.02.14	3671	
17	2013–14	–	06.03.14	6101	
18	2013–14	–	11.03.14	2202	
			योग	**₹168717**	

(घ) आय की ₹19468/–को रोकड़ बही में दर्ज न करने बारेः–

(आर0एल0ए0) पालमपुर की रोकड़ बही एवं बैंक खाते के मिलान के दौरान जाँच में पाया गया कि सोसाईटी द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न गतिविधियों से सम्बन्धित आय की ₹19468/– को बैंक में निम्नविवरणानुसार जमा करवाया गया है किन्तु इन राशियों को रोकड़बही में दर्ज नहीं किया गया है, जिस कारण सोसाईटी की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं होती है एवं इतनी अधिक राशि को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज न करना सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा सोसाईटी के अभिलेख के रख रखाव में की जा रही लापरवाही को भी दर्शाता है। अतः इन समस्त प्राप्तियों को अविलम्ब रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज किया जाए तथा इस सम्बन्ध में की गई लापरवाही बारे भी स्थिति स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई आय को सम्पूर्ण राशियों विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	दिनाँक	राशि	टिप्पणी
1	19.6.12	3330	इनका विवरण बैंक समाधान विवरणी **परिशिष्ट "ख"** के क्रमाँक संख्या (XI) तथा (XIII) में भी दिया गया है।
2	19.6.12	2028	
3	19.6.12	1000	
4	19.6.12	1320	
5	22.8.12	3000	
6	5.4.13	1250	
7	12.7.13	1800	
8	12.7.13	1935	
9	14.10.13	2575	
10	02.11.13	1230	
	योग	**₹19468**	

इसके अतिरिक्त भविष्य के सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि सोसाईटी द्वारा संचालित की जा रही समस्त गतिविधियों से प्राप्त आय को यथा समय रोकड़ बही में दर्ज करने के अतिरिक्त मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए ताकि इस प्रकार की गलतियों की सम्भावना को नकारा जा सके एवं रोकड़ बही के रख रखाव में नियमों की अनुपालना भी सुनिश्चित हो सके।

(ङ) अन्य अनियमितताएंः–

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय स्थिति/बैंक समाधान विवरणिका मे अन्य अनियमितताएं/त्रुटियाँ/भिन्नताएं भी पाई गई जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** के भाग **"A" तथा "B"** में दिया गया है। अतः इन त्रुटियों का आंकड़ों में भिन्नताओं का मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

5 रोकड़ बही का रख रखाव नियमानुसार न करना तथा बैंक समाधान विवरणिका तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ(1) 3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.2005 की धारा 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा नियमानुसार लेखों का रख रखाव सुनिश्चित करते हुए प्रतिवर्ष आय एवं व्यय का विवरण एवं तुलनपत्र तैयार किया जाना अपेक्षित था, परन्तु सोसाईटी द्वारा न तो रोकड़ बही का रख रखाव नियमानुसार किया गया है और न ही आय–व्यय का विवरण, लेजर एवं तुलनपत्र तैयार किए गए है। अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि जब भी रोकड़ बही में कोई गलती हो जाती है अथवा किसी मद की गलत प्रविष्टि हो जाती है तो उसे काटकर एवं ठीक मद की अलग से पुनः प्रविष्टि करने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी से उसे प्रतिहस्तांतरित करवाने के स्थान पर गलत प्रविष्टि के उपर ही अधिलेखन (Overwriting) करके उसे ठीक कर दिया जाता है जोकि एक अनुचित प्रक्रिया के साथ–साथ नियमों के विरूद्ध भी है। इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया कि रोकड़ बही में आय एवं व्यय की सम्पूर्ण मदों की प्रविष्टियाँ नहीं की गई है जिस कारण रोकड़ बही के अन्तशेष एवं बैंक पास बुक के अन्त शेष में बहुत ज्यादा अन्तर है जिसका सम्पूर्ण विवरण अंकेक्षण द्वारा तैयार बैंक समाधान विवरणी, जोकि इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ख"** के भाग "A" तथा "B" में दिया गया है। अतः इस अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य के लिए सुझाव दिया जाता है कि रोकड़ बही में आय एवं व्यय की सम्पूर्ण प्रविष्टियों का ईन्द्राज करने के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाए यदि रोकड़ बही में किसी प्रविष्टि/मद को ठीक करना हो तो पुरानी प्रविष्टि को काट कर व नई प्रविष्टि पुनः लिख कर उसे सक्षम प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में प्रत्येक माह में प्राप्त की गई कुल आय एवं माह में किये गये कुल व्यय का विवरण देने के उपरान्त अन्तशेष का भी विवरण देकर हस्तगत राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं बैंक में जमा राशि का भी विवरण भी दिया जाए तथा रोकड़ बही के अन्तशेष का बैंक में जमा शेष राशि से मिलान सुनिश्चित करते हुये यदि कोई अन्तर है तो उसका सम्पूर्ण विवरण बैंक समाधान विवरणी के रूप में दिया जाए।

6 सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त आय को नियमानुसार बैंक में जमा न करनाः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) पालमपुर द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि सोसाईटी द्वारा सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त राशियों को उसी कार्य दिवस अथवा आगामी कार्य दिवस को बैंक में जमा न करवाकर इन राशियों को काफी लम्बे अन्तराल बाद बैंक में जमा करवाया जा रहा था, जबकि नियमों में वर्णित प्रावधानानुसार प्राप्त समस्त राशि को उसी कार्य दिवस अथवा आगामी कार्य दिवस पर बैंक में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। चयनित मासों में प्राप्त आय एवं उनके बैंक में जमा की अंकेक्षण द्वारा जाँच की गई जिसमें देरी से बैंक में जमा करवाई गई राशियों के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से पाए गए।

क्र0सं0	रसीद संख्या जिनकी आय जमा करवाई गई	अवधि (जिससे सम्बन्धित आय जमा की गई)	बैंक में जमा की दिनाँक	राशि
माह 10/2005				
1	6401–6500	20.9.05 से 30.9.05	1.10.05	10000
2	11601–11700	28.9.05 से 6.10.05	7.10.05	5000
3	601–700	4.7.05 से 7.10.05	10.10.05	20000
4	801–900	12.7.05 से 20.9.05	10.10.05	2500
5	2901–3000	15.9.05 से 5.10.05	11.10.05	15000
6	11701–11800	6.10.05 से 14.10.05	15.10.05	5000
7	2601–2700	01.9.05 से 15.10.05	18.10.05	10000
8	6501–6600	30.9.05 से 19.10.15	20.10.05	10000
9	3001–3100	05.10.05 से 21.10.05	24.10.05	15000
10	11801–11900	14.10.05 से 22.10.05	24.10.05	5000
11	6601–6700	19.10.05 से 27.10.05	28.10.05	10000
माह 11/2006				
12	101–200	12.9.06 से 29.9.06	01.11.06	5000
13	1401–1500	14.9.06 से 10.10.06	01.11.06	10000
14	1501–1600	10.10.06 से 20.10.06	01.11.06	10000
15	4401–4500	13.9.06 से 10.10.06	01.11.06	10000
16	4501–4600	रसीद बुक उपलब्ध नहीं	01.11.06	10000
17	5001–5100	30.9.06 से 23.10.06	06.11.06	15000
18	–	01.10.05 से 31.10.05	06.11.06	3805
19	2001–2100	रसीद उपलब्ध नहीं	21.11.06	15000
20	201–300	29.9.06 से 11.10.06	23.11.06	5000
21	301–400	12.10.06 से 23.10.06	23.11.06	5000
22	401–500	23.10.06 से 07.11.06	23.11.06	5000
23	4601–4700	26.10.06 से 07.11.06	23.11.06	10000

24	4701—4800	07.11.06 से 21.11.06	23.11.06	10000
25	1601—1700	23.10.06 से 13.11.06	23.11.06	10000
26	1701—1800	13.11.06 से 21.11.06	23.11.06	10000
27	1801—1900	19.7.06 से 28.10.06	25.11.06	10000
28	1901—2000	24.10.06 से 24.11.06	25.11.06	2500
माह 05/2007				
29	2901—3000	28.3.07 से 20.4.07	08.05.07	15000
30	1601—1612	रसीद उपलब्ध नहीं	08.05.07	1200
31	कम्पयूटरीकृत रसीदें	16.4.07 से 24.4.07	11.05.07	10700
32	—	—यथोपरि—	11.05.07	7450
33	—	21.4.07 से 10.5.07	23.5.07	20935
34	—	25.4.07 से 21.5.07	28.05.07	15800
35	—	25.4.07 से 21.5.07	28.5.07	19250
माह 11/2008				
36	वर्णन नहीं	वर्णन नहीं	8.10.08	3820
37	—यथोपरि—	—यथोपरि—	17.10.08	15610
38	कम्पयूटरीकृत रसीदें	22.9.08 से 10.10.08	22.10.08	28690
39	—	वर्णन नहीं	23.10.08	1352
40	—	अवधि का वर्णन नहीं	07.11.08	11505
41	—	—यथोपरि—	07.11.08	2600
42	—	—यथोपरि—	19.11.08	62132
43	—	—यथोपरि—	29.11.08	21810

उपरोक्त दिये गये विवरण से स्पष्ट है कि सोसाईटी द्वारा प्राप्त राशियों को यथासमय बैंक में जमा न करवाकर इन्हें हस्तगत रूप में काफी समय तक रखा जा रहा था जोकि नियमानुसार नहीं है। अतः सोसाईटी द्वारा सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त आय को नियमानुसार बैंक में जमा न करवाकर काफी लम्बे समय तक हस्तगत रूप में रखने बारे आन्तरिक/विभागीय स्तर पर जाँच करते हुये इस हेतु जिम्मेदार कर्मचरियों के विरूद्ध अपेक्षित कार्रवाई करने के अतिरिक्त हस्तगत राशि पर नियमानुसार दण्ड ब्याज की गणना संस्था स्तर की जाए तथा उसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करने के उपरान्त इस राशि को सोसाईटी के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। यहाँ पर यह वर्णित किया जाता है कि उक्त विवरण केवल मात्र चयनित मासों का है। अतः चयनित मासों के अतिरिक्त अन्य मासों में इस तरह के प्रकरणों की जांच संस्था स्तर पर की जाए तथा तदानुसार यथोचित कार्रवाई अमल में लाई

जाए। इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सोसाईटी द्वारा दैनिक प्राप्तियो से सम्बन्धित पंजिका का रख रखाव भी नहीं किया जा रहा था, जिस कारण प्रतिदिन प्राप्त कुल आय की जाँच नहीं की जा सकी एवं दण्ड ब्याज की गणना भी तदानुसार नहीं की जा सकी।

7 राजकीय कोष एवं मुख्य प्रशासक के पास 25% भाग के रूप में राशियों को जमा न करवाने बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000–ई–गवर्नेन्स दिनांक 03.09.2005 के पैरा 3 (ए) के अनुसार शुल्क के रूप में प्राप्त कुल वसूलियों का 25 प्रतिशत भाग राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित है एवं मुख्य प्रशासक द्वारा जारी निर्देशों एवं सोसाईटी के Bye Laws के अनुसार भी 25 प्रतिशत भाग मुख्य प्रशासक के पास जमा करवाया जाना अपेक्षित है। (आर0एल0ए0) पालमपुर द्वारा अंकेक्षण अवधि क दौरान राजकीय कोष क पास जमा करवाई गई राशियों का सम्पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ग"** में दिया गया है। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि (आर0एल0ए0) पालमपुर द्वारा दिनांक 08.01.2006 तक, दिनांक 01.02.2007 से 31.03.2007 तक तथा दिनांक 01.10.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि में प्राप्त कुल सेवा शुल्क का 25 प्रतिशत नियमानुसार राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था। अतः उपरोक्त वर्णित अवधि में प्राप्त सेवा शुल्क की गणना संस्था स्तर पर करने के उपरान्त उस राशि का 25 प्रतिशत भाग शीघ्र राजकीय कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया कि सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त कुल आय का 25 पतिशत भाग राजकीय कोष में समयानुसार जमा न करवाकर वार्षिक एवं अर्धवार्षिक रूप में जमा करवाया जा रहा है जबकि उक्त भाग को वसूली वाले दिन अथवा आगामी कार्यदिवस पर राजकीय कोष में जमा करवाना अपेक्षित था परन्तु सोसाईटी द्वारा इनकी पूर्ण रूप से अवहेलना की जा रही है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुये भविष्य में वसूल की गई राशियों को नियमानुसार यथासमय राजकीय कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त सोसाईटी द्वारा मुख्य प्रशासक के पास जमा करवाई गई राशि का विवरण **परिशिष्ट "घ"** पर दिया गया है जिस बारे में आंकड़ों सहित यह स्पष्ट किया जाए कि क्या सोसाईटी द्वारा नियमानुसार सेवा शुल्क से प्राप्त राशियों का 25 प्रतिशत भाग केन्द्रीय ईकाई धर्मशाला में जमा करवाया गया है अथवा नहीं? इस सन्दर्भ में अनुपालना से यथाशीघ्र इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 ई–गवर्नेन्स की रसीद बुकों की स्कंध पंजिका का रख रखाव न करनाः–

अभिलेख की जाँच मे पाया गया कि सोसाईटी द्वारा कम्पयूटरीकृत रसीदें जारी करने की दिनांक से पूर्व सेवा शुल्क के रूप में पाप्त राशियों के एवज में उपयोग की गई रसीद

बुकों की प्राप्ति एवं आगामी निपटारे से सम्बन्धित स्कंध पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में प्राप्त रसीदों एवं जारी की गई रसीदों की पुष्टि एवं उनकी मात्रा/संख्या इत्यादि की जाँच वर्तमान अंकेक्षण मे ंनहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त रसीद बुकों की स्कंध पजिका का रख रखाव न होने से इनके दुरूपयोग की सम्भावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। अतः सेवा शुल्क से सम्बन्धित रसीद बुकों की प्राप्ति एवं उनके आगामी निपटारे से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख तैयार किया जाए तथा जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सनिश्चित किए जाएं।

9 ई–गवर्नेन्स से विभिन्न प्रकार के किए गए ₹190496 के भुगतान बिलो में पाई गई अनियमितताऐंः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी, (आर0एल0ए0) पालमपुर द्वारा क्रय किये गये विभिन्न सामान/वस्तुओ ंके भुगतान बिलो की जाँच में पाया गया कि सोसाईटी द्वारा क्रय हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशो नियमों तथा ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा बनाये गये नियमो की पूर्णतया अवहेलना की गई है। सोसाईटी द्वारा क्रय किये गये सामान हेतु न तो क्रय पूर्व औपचारिकताओं को पूर्ण किया गया है एवं न ही क्रय के उपरान्त अधिकतर मामलों में क्रय वस्तुओं की स्कंध प्रविष्टियाँ की गई है एवं न ही उसके आगामी निपटारे से सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव किया गया है। अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में क्रय किये सामान के भुगतान बिलों जिनमें क्रय की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया है का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	फर्म का नाम	क्रय सामान का विवरण	बिल सं0	दिनांक	राशि
1	मै0 कम्पयूल, पालमपुर	कार्टरिजस पेपर, ग्लोसो पेपर एवं अन्य स्टेशनरी	3735	21.12.05	54617
2	मै0 कम्पयूल, पालमपुर	कार्टरिजस ग्लू स्टिक आदि	3767	23.12.05	3531
3	मै0 डॉट कम्यूनिकेशन, पालमपुर	टेलीफोन नेटवर्क रिपेयर, एवं अन्य सामान	083	21.12.05	4786
4	मै0 सनटेक सिस्टम, धर्मशाला	टोनर, आदि	326	07.01.06	4636
5	मै0 विजनेस मास्टरस शिमला	लेजर टोनर	228	23.606.09	9200
6	–यथोपरि–	लेजर टोनर	233	23.06.09	9200
7	मै0 रूद्राक्ष इन्फोटेक	लैन केबल, लैन कार्ड	460	10.07.09	2008

	चचियाँ (नगरी)				
8	–यथोपरि–	टोनर 4 नं0	457	10.07.09	29075
9	–यथोपरि–	की–बोर्ड	459	10.07.09	1100
10	मै0 कम्पयूयल, पालमपुर	ग्लोसी पपर, मार्कर एवं अन्य स्टेशनरी	516	14.07.09	6017
11	मै0 हिन्द बुक सेन्टर, पालमपुर	पेपर, पैन, स्टेपलर रजिस्टर आदि कार्टरिज	1518	01.05.10	4247
12	मै0 लक्ष्मी कम्पयूटर पालमपुर	पेपर 25 रिम	6898	20.04.10	5408
13	–यथोपरि–	कार्टरिजस	6984	05.05.10	6563
14	–यथोपरि–	की–बोर्ड	6985	05.05.10	9660
15	मै0 रूद्राक्ष इन्फोटेक, चवियां (नगरी)	टोनर्स 2 नं0	110	21.04.10	1100
16	मै0 लक्ष्मी कम्पयूटर पालमपुर	कागज 32 रिम	11946	09.03.12	3300
17	–यथोपरि–	परदे	12178	28.03.12	6266
18	मै0 गोपाल इम्पोरियम पालमपुर	फुटमेट	3025	04.02.12	9720
19	–यथोपरि–	ग्लोसी शीटस कागज आदि	3604	24.04.12	1150
20	मै0 आदित्य एन्टरप्राईजिज पालमपुर		1778	02.05.13	3397
21	मै0 हिन्द बुक सेन्टर, पालमपुर	कागज 20 रिम	3248	20.4.12	3045
22	–यथोपरि–	इण्डेक्स फाईल रजिस्टर आदि	3255	19.4.12	2965
23	–यथोपरि–	कागज 10 रिम, ग्लोसर पेपर	3217	10.4.12	9505
				योग	**190496**

उपरोक्त भुगतान बिलों के सम्बन्ध म मुख्यतः निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियां पाई गई, जिनका निराकरण अपेक्षित है:–

(क) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 98 के अनुसार ₹3000/– से अधिक तथा ₹1 लाख तक के सामान का क्रय विभागीय स्तर पर गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त नियम 97 के अनुसार ₹3000/– से अधिक तथा इससे पूर्व ₹1000/– से अधिक के क्रय में कोटेशन ली जानी अनिवार्य थी, परन्तु उपरोक्त वर्णित सभी मामलों में सामान का क्रय करने से पूर्व न तो किसी क्रय समिति का

गठन किया गया है एवं न ही स्थानीय स्त्तर पर क्रय से पूर्व कोटेशने आमन्त्रित की गई है। अतः बिना नियमा की पालना किये गये क्रय बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा इन मामलों में सक्षम अधिकारी की कार्यात्तर स्त्तर पर लेकर इन्हें नियमित करवाया जाए।

(ख) क्रय किये गये सामान की स्कंध प्रविष्टियाँ मदवार तथा खपत योग्य व स्थाई वस्तुओं की प्रकृति क अनुसार पृथकता से की जानी अपेक्षित है किन्तु उक्त सभी मामलों में खरीदे गये सामान की स्कंध प्रविष्टियाँ स्कंध पंजिका में नहीं की गई है एवं न ही उनके आगामी निपटारे से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव किया गया है, जोकि नियमों की पूर्णतया अवहेलना है तथा बिना स्कंध प्रविष्टियों के एवं उनके आगामी निपटारे से सम्बन्धित अभिलेख के न होने से क्रय किए गए सामान की प्राप्ति एवं वास्तविक उपयोग का सत्यापन वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः क्रय किये गये समस्त सामान की स्कंध प्रविष्टयाँ स्कंध पंजिका में की जाए तथा जाँच हतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाए।

(ग) क्रम संख्या 1–2, 5–6, 7–9, 14–15 एवं 22–24 में वर्णित भुगतान बिलों द्वारा क्रय किया गया सामान खण्डशः क्रय की श्रेणी (Piecemeal Purchase) में आता है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता से बचने हेतु यह क्रय बिल विभाजित करके किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुये भविष्य में इस तरह के मामलों पर पूर्णतः अंकुश लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) क्रम संख्या 3, 19 एवं 20 में वर्णित क्रय बिल ई–गवर्नेन्स पर उचित प्रभार नहीं है, क्योंकि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा बनाये गय ई–गवर्नेन्स फण्ड रूल्स में यह स्पष्टतः उल्लेखित है कि सामान का क्रय ई–गवर्नेन्स प्रयोग हेतु ही किया जा सकता है एवं कार्यालय की अन्य गतिविधियों हेतु ई–गवर्नेन्स निधि से क्रय नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त क्रमांकों मे ंवणित भुगतान बिलों की राशि भी उचित स्त्रोत से वसूल करने के उपरान्त ई–गवर्नेन्स में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसक अतिरिक्त भविष्य के सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि ई–गवर्नेन्स में से किसी भी सामान का क्रय करने से पूर्व सरकार एवं मुख्य प्रशासक द्वारा जारी दिशा निर्देशो ंएवं नियमों का पूर्ण ध्यान रखा जाना सुनिश्चित किया जाए तथा क्रय सामान की स्कंध प्रविष्टियाँ एवं उनके आगामी निपटारे से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख का रख रखाव भी नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

10 ई–गवर्नेन्स सोसाईटी से क्रय किए गए ₹311226.40 के विभिन्न सामान से सम्बन्धित पाई गई अनियमितताएंः–

अभिलेख की जाँच मे ंपाया गया कि सोसाईटी द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में विभिन्न फर्मों से निम्न प्रकार के सामान के क्रय हेतु भुगतान किया गया है।

क्र0 सं0	फर्म का नाम	क्रय सामान का ववरण	बिल संख्या	दिनांक	राशि	टिप्पणी
1	मै0 शेष राम बिहारी लाल, पालमपुर	पेन्ट, ब्रश एवं अनय सम्बन्धित सामान	3488–3490	शून्य (05/06)	44922	न्यूनतम दर पर
2	मै0 पंकज बिल्डर्स, पालमपुर	टाईल, सीमेन्ट अडेसिव एवं लेबर	217	28.12.05 (05/06)	21853	न्यूनतम दर पर
3	मै0 सूद स्टील इण्डस्ट्रीज पालमपुर	एंगल आयरन रेकस कुर्सियाँ	333	5.10.05	52792	
4	–यथोपरि–	प्लेन ग्लास टोप फिटड In Table	385	2.1.06	17618	न्यूनतम दर पर
5	–यथोपरि–	स्टील अलमारियों की रिपेयर (14 नं0)	406	8.2.06	20332	
6	–यथोपरि–	रिफिक्सिंग ऑफ डोरज रेक्स, टेबल	440	3.3.06	40315.60	
7	–यथोपरि–	सोफा रिपेयर, ई–गवर्नेन्स काउंन्टर की रिफिक्सिंग	472	7.4.06	34288.80	
8	–यथोपरि–	ई0पी0बी0ए0एम्स0 सिस्टम, टेलीफोन आदि का क्रय	297/2012	6.4.12	79105.00	डी0जी0एस0डी0 रेट/दरों पर
				योग	**₹311226.40**	

इन भुगतान बिलों के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ पाई गई, जिनका निराकरण अपेक्षित हैः–

(क) क्रम संख्या 1 से 8 में वर्णित क्रय के सभी मामलों में ई0 गवर्नेन्स निधि नियम (e-Governance Fund Rules) के नियम 8.12 एवं अन्य दिशा निर्देशों अनुसार मुख्य प्रशासक की स्वीकृति अनिवार्य थी किन्तु इन सभी भुगतान बिलों हेतु मुख्य प्रशासक की स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलख जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि उक्त क्रय मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा नही? अतः स्वीकृति से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाएं।

(ख) क्रम संख्या 8 में वर्णित व्यय जो कि कार्यालय में स्थापित ई0पी0बी0एक्स0 से सम्बन्धित है, ई–गवर्नेन्स निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः ई–गवर्नेन्स निधि में से किये गये इन व्यय को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनांक 03.09.2005 एव ई–गवर्नेन्स निधि के नियमों के अनुसार स्थिति स्पष्ट करते हुये जिन नियमों के अन्तर्गत यह भुगतान किया गया है का भी स्पष्ट उल्लेख करते हुये अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाये जाए। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय डी0जी0एस0 एवं डी0 दरो पर किया गया दर्शाया गया है किन्तु डो0जी0एस0 एवं डी0 दरों की प्रति जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं की गई, जिसे आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) क्रम संख्या 1 से 7 मे वर्णित बिलो द्वारा क्रय किये गये सामान की स्कंध प्रविष्टियाँ नहीं की गई है, जिनके अभाव में किये गये व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि नियमानुसार किसी भी क्रय की सर्वप्रथम स्कंध प्रविष्टि की जाती है एवं तदोपरान्त उसकी आगामी खपत से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव किया जाता है। अतः क्रय सामान की स्कंध प्रविष्टियाँ न करने बारे कारण स्पष्ट करते हुये सभी क्रय/भुगतान बिलों के अन्तर्गत क्रय सामान की स्कंध प्रविष्टियाँ स्कंध पंजिका में की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(घ) क्रम संख्या 1 से 2 में वर्णित सामान के आगामी निपटारे जैसे कि रंग रोंगन एवं टाईलें लगाने का कार्य किन–किन कमरो मे किया गया है एवं उसके माप (Measurement) से सम्बन्धित अभिलेख भी जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं किए जिसे आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भो स्पष्ट नहीं हो सका कि यह कार्य ई–गवर्नेन्स निधि पर उचित प्रभार है अथवा नहीं। यदि यह कार्य ई–गवर्नेन्स गतिविधियों हेतु नहीं किया गया है तो इस समस्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त ई–गवर्नेन्स में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अगाामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

11 ई–गवर्नेन्स से कायालय के टेलीफोन एवं बिजली बिलो की ₹53559/– का भुगतान अनियमित रूप से करने बारेः–

अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि कार्यालय के अधिकतर बिजली एवं टेलीफोन बिलों का भुगतान ई–गवर्नेन्स से किया जा रहा है, जबकि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा बनाये गये उप–नियमों के नियम 8.13 में यह स्पष्टतः उल्लेखित है कि कार्यालय के बिजली एवं टेलीफोन बिलों का भुगतान कार्यालय बजट के अन्य खर्चे शीर्ष (Other Expenditure Head) में पैसा/धन उपलब्ध न होने की दशा में ही किया जा सकता ह, किन्तु अंकेक्षण के दौरान जाँच एवं पुष्टि हतु इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार का अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया गया कि वास्तव में अन्य खर्चे शीर्ष में बजट की अनुपलब्धता के कारण

ही इन बिलो ंका भुगतान ई–गवर्नेन्स सासाईटी में से किया गया है। इसक अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित बिल/वाउचर की जाँच एवं पुष्टि हेतु इन्हें उपलब्ध नहीं करवाए गए। अतः संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके इस बात की पुष्टि भी की जाए कि उक्त बिलों का भुगतान ई–गवर्नेन्स के अतिरिक्त अन्य खर्चे शीर्ष मे से तो नहीं किया गया है। अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में निम्नलिखित बिजली एवं टेलीफोन बिलों का भुगतान ई–गवर्नेन्स सोसाईटी में से किया गया है।

क्र0सं0	माह	मीटर संख्या/ टेलीफोन नं0	राशि	टिप्पणी
(क) बिजली बिल				
1	1/06	PLP-11	26305	
2	7/09	PLP-11	6686	
3	5/10	PLP-11	5736	
4	4/11	PLP-11	8838	
(ख) टेलीफोन बिल				
5	1/06	वर्णन नहीं	2829	
6	1/06	230596	1200	बिल की कुल ₹3000 में से ₹1200 ई–गवर्नेन्स से भुगतान किय गये
7	5/06	230596	1200	बिल की कुल ₹2915 में से ₹1200 ई–गवर्नेन्स से भुगतान किये गये
8	4/11	230596	765	
		योग	**₹53559**	

उपरोक्त के अतिरिक्त ई–गवर्नेन्स की रोकड़ बही एवं अन्य प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार इन बिलों की राशि ई–गवर्नेन्स से ऋण के रूप में को गई है। अतः ऋण के रूप में दी गई उक्त राशि को वापिस ई–गवर्नेन्स निधि में जमा किया जाए तथा चयनित मासों के अतिरिक्त अन्य मासों में इस तरह क भुगतानो की संस्था स्तर पर जाँच करके उनकी प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से की जाए।

12 विविधः–

(क) अभिलेख की जाँच में पाया गया कि माह 04/2012 में ₹2635/– का भुगतान मै0 बाली वॉल पालमपुर को उनके बिल संख्या 736 एवं 744 दिनांक 17.3.2012 एवं 28.03.12 के अन्तर्गत क्रमशः ₹1960 एवं ₹675 द्वारा 9 अदद दीवार की घड़ियाँ खरीदने हेतु किया गया है किन्तु दीवार की घड़ियों का क्रय ई–गवर्नेन्स पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस अनियमित

भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि ई–गवर्नेन्स के खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) दिनाँक 3.4.2012 को रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 119 क अनुसार ₹600 का भुगतान श्री अनुज कुमार को किया गया दर्शाया है किन्तु उक्त भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के अभिलेख वर्तमान अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः वाँछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाएं अन्यथा ₹600/– की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त ई–गवर्नेन्स में जमा करवाई जाए तथा कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ग) दिनांक 01.05.06 को रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 93 क अनुसार ₹1036/– का भुगतान दर्शाकर यह राशि खाते से निकाली गई है किन्तु उक्त ₹1036/– के विरूद्ध केवल ₹898/– के भुगतान से सम्बन्धित वाउचर ही नस्ति में उपलब्ध थे एवं शेष ₹138/– के भुगतान से सम्बन्धित कोई अभिलेख वर्तमान अंकेक्षण में जाँच हेतु पस्तुत नहीं किए गए जिसे आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए अन्यथा ₹138/– की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त ई–गवर्नेन्स खाते में जमा करवाई जाए।

(घ) ई0 गवर्नेन्स निधि नियम (e-Governance Fund Rules) की धारा 9.3 के अनुसार प्रतिवर्ष स्टॉक मे ंपड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था, किन्तु अभिलेख की जाँच में पाया गया कि (आर0एल0ए0) पालमपुर द्वारा अंकेक्षण अवधि के किसी भी वर्ष में स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुये नियमों की अनुपालना में स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन अविलम्ब करते हुये की गई कार्रवई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ङ) केन्द्रीय ईकाई धर्मशाला से समय–2 पर ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) पालमपुर को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) पालमपुर से केन्द्रीय ईकाई धर्मशाला को समय–2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई धर्मशाला से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिकाः**– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

14 **निष्कर्षः**– लेखाओं के रख–रखाव में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता क अतिरिक्त रोकड़ बही क लेखन एवं आय–व्यय विवरण तथा बैंक समाधान विवरणी नियमित रूप से बनाये जाने की आवश्यकता है ताकि रोकड़ बही के लेखन की त्रुटियों को सुधारा जा सके।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15) (xii)41/2015 खण्ड–1–2919–2923 दिनांक 27.05.2015, शिमला–171009

पंजीकृतः–1 उप मण्डल अधिकारी (आर0एल0ए0) पालमपुर, तहसील पालमपुर, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश काँगड़ा स्थित धर्मशाला जिला काँगड़ा (हि0प्र0)

3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला–03

4 विशेष सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–02

5 श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.